

प्रकरण वर्ष 2003 से अग्रिम के समस्त
विचारधारा है। प्रकरण विचारधारा रहे
है। कुछ प्रारम्भिकता ने गलत तरीके
से अपने हिस्से की आराजी का शिष्ट
की दे दिया है व कुछ पत्रकारों
ने अपने हिस्से की आराजी को
कोई भी रहन रहन दिया है इसलिए
उन्हें बाद पत्र में कई तकनीकियाँ
श्रावण पत्र हो गई है। 20-21 वर्ष से
उन्हें बाद-पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही है।
इसलिए हम वादीगण उन्हें बाद की विधि
में फेरन कर सभी तथ्यों में साध
पत्र करना-वाह्य है ऐसी विधि में
दावा विधि करने की इजाजत ही जोड़
विधि के बाद अविषय में फेरन कर जारी
करने की इजाजत बाहर निकल दिया है।

हमारे हाथ वसुधाप को खुला गया।
पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया
गया। अतः प्राचीन वादी का प्राप्ति कर
दावा विधि स्वीकार किया जाकर पत्रावली
विधि कि जाली है। वादी को उन्हें बाद
के अविषय में फेरन कर जारी करने की
इजाजत प्रदान की जाती है। पत्रावली जो
शुभार होकर नम्बर से कम है। बाद
पूर्ति दाखिल दखल है।

उपखण्ड अधिकारी
बहो , टपूतली-बहरो